न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 10/2020

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

1 ईकबाल पुत्र आमीन।
2 अनवर पुत्र आमीन।
3 बिस्मीला पत्नी आमीन।
4 गन्नी पुत्र शकुर।
5 इलायबवर्श उर्फ लीलू पुत्र शकुर।
6 गुलाम हुसैन पुत्र शकुर।
7 सलीम पुत्र शकुर समस्त जाति लीलगर मुस्लमान निवासीगण लादूसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मकबूल पुत्र यासीन।
2 साबिरा पुत्री आमीन।
3 रहीसा पुत्री आमीन।
4 समीम पुत्री आमीन।
5 नसीम पुत्री आमीन।
6 सहीदा पत्नी अजमेरी।
7 मुमताज पुत्र अजमेरी।
8 अनवर पुत्र अजमेरी।
9 हारून पुत्र अजमेरी।
10 खातुन पुत्री अजमेरी।
11 जायदा पुत्री अजमेरी।
12 रोशन पुत्र रमजान।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

13 कासम पुत्र रमजान।

14 मृतक शफी मोहम्मद पुत्र रमजान।

15 मृतक संतरा पत्नी सफी मोहम्मद।

16 असलम पुत्र सफी मोहम्मद समस्त जाति लीलगर मुसलमान निवासीगण लादूसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

17 सकील पुत्र सफी मोहम्मद।

18 रफीक पुत्र सफी मोहम्मद।

19 रूकसाना पुत्री सफी मोहम्मद पत्नी रफीक समस्त जाति लीलगर मुसलमान निवासीगण इस्लामपुर तहसील व जिला झुंझुनू।

20 जरीना पुत्री सफी मोहम्मद पत्नी बाबुलाल जाति लीलगर निवासी डाबड़ी मोड़ मण्ड्रेला तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

21 मकबूल पुत्र रमजान।

22 जैतुन पुत्री रमजान।

23 शाकीना पत्नी असगर।

24 नवाब अली पुत्र असगर।

25 शौकत पुत्र असगर।

26 शारीप पुत्र असगर।

27 मुन्शी पुत्र असगर।

28 सरबती बानो पत्नी मदन अली।

29 युसुफ अली पुत्र मदन अली।

30 साबिर अली पुत्र मदन अली।

31 मुन्सफ अली पुत्र मदन अली।

32 रसीद अली पुत्र मदन अली।

33 अदरीश पुत्र मदन अली।

34 जुले खां पुत्री मदन अली।

35 जुबैदा बानो पुत्री मदन अली।

36 मदीना बानो पुत्री मदन अली।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
सत्यमेव जयते

37 नजमा बानो पुत्री मदन अली समस्त जाति लीलगर निवासीगण लादुसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
38 रामसुख पुत्र गणपत।
39 मृतक त्रिलोकाराम पुत्र गणपत।
39/1 धर्मपाल पुत्र त्रिलोकाराम।
39/2 विनोद पुत्र त्रिलोकाराम।
39/3 मोहर सिंह पुत्र त्रिलोकाराम।
39/4 अमीलाल पुत्र त्रिलोकाराम समस्त जाति जाट निवासीगण लादुसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
39/5 परमेश्वरी पुत्री त्रिलोकाराम पत्नी हरफुल सिंह जाति जाट निवासी लूणी तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
39/6 संतोष पुत्री त्रिलोकाराम पत्नी महिपाल सिंह जाति जाट निवासी लुटटू तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
39/7 विमला पुत्री त्रिलोकाराम पत्नी सुमेर सिंह।
39/8 रामकोरी पुत्री त्रिलोकाराम पत्नी रणवीर।
39/9 चुका पुत्री त्रिलोकाराम पत्नी इन्द्राज समस्त जाति जाट निवासीगण हंसासरी तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
40 मुस्ताक अहमद पुत्र अरसद अली।
41 इकबाल पुत्र अरसद अली।
42 अशफाक अली पुत्र उम्मेद अली।
43 आमीर हसन पुत्र उम्मेद अली समस्त जाति कायमखानी निवासीगण लादूसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
44 बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा धनूरी तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज. टिनेन्सी एक्ट विरूद्व निर्णय व आदेश दिनांक 29.01.2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर बमुकदमे उनवानी मकबूल बनाम इकबाल आदि विविध मुकदमा नम्बर 26/2019 अन्तर्गत धारा 212 राज. टिनेन्सी एक्ट व अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 जा.दी.

उपस्थिति :

1. श्री सत्यप्रकाश, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुकर्रम अंसारी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 27.04.23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 26/2019 में पारित निर्णय दिनांक 29.01.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने ग्राम लादूसर की भूमि खसरा नम्बर 326, 327 के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से स्थगन आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर अप्रार्थीगण की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि सहखातेदारी की है। मौके पर आपसी बंटवारे से सभी काश्तकार काबिज है। विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्ट्या मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विवेचन किये बिना आदेशिका में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय पारित कर निर्माण नहीं करने एवं मौके रिकार्ड की यथास्थिति ता फैसला वाद बनाये रखने के आदेश दिए है। मौके पर अन्य पक्षकारों के मकान पूर्व से बने हुए है। सभी पक्षकार अपने अपने हिस्से में मकान बनाकर रह रहे है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार अपीलांट को अपने हिस्से में 1/50 हिस्से तक निर्माण करने का कानूनी अधिकार है। विधि अनुसार एक सहकाश्तकार को अपने हिस्से पर निर्माण करने से, अपना हिस्सा विक्रय रहन करने से पाबंद नहीं किया जा सकता है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में विभाजन का वाद लंबित है। विभाजन से पूर्व भूमि के विशेष भू–भाग पर निर्माण का किसी भी काश्तकार को अधिकार नहीं है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में विभाजन का वाद लंबित है। विभाजन से पूर्व भूमि के विशेष भू–भाग पर निर्माण का किसी भी काश्तकार को अधिकार नहीं है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। इसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27/04/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर